जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 09-09-2020**

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

युवती को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 375/20 धारा 363 / 366 भादवि व 16 / 17 पाक्सो एक्ट

मे वांछित अभियुक्त नाम पता विक्की पुत्र झीनक निवासी जंगलसिकरी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया।
विदित हो कि दिनॉक 05-06-2020 को अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया था, जिसके उपरान्त वादी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमे थाना धनघटा पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

750 ग्राम अवैध गॉजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 750 ग्राम अवैध गॉजा के साथ एक अभियुक्त नाम पता रामजियावन पुत्र रामनरेश यादव निवासी फुलुई टोला सेमरौना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 549/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 श्री पवन कुमार मय हमराह।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 25 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 05-05-05 लीटर (कुल 15 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्तगण नाम पता 1- गुल हसन पुत्र हबीबुल्लाह निवासी दुर्गजोत 2- मो0 हसन पुत्र सज्जाद अली निवासी दुर्गजोत 3- शिवनाथ चौरसिया पुत्र रामप्रसाद निवासी नन्दौर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 342 / 2020, 343/20, 344/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता सुखराम उर्फ सुक्खु पुत्र हरिराम निवासी आमड़ाड थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 173 / 2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1485 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल –

पीआरवी 1485 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत केरमुआ माफी से इवेन्ट संख्या 09229 से मार्ग दुर्घटना में दो व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 05 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को पीआरवी वाहन से अस्पताल पहुँचाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 फूलेना प्रसाद, आरक्षी सतवंत शाही, हो0चा0 शेख अब्दुल्ला।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 16 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 09 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 107 वाहनो से 82700 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 09-09-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 107 वाहनो से 82700 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।